

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-10
संख्या-1693/एक-10-2021-33(46)/2018
लखनऊ: दिनांक: 13 अक्टूबर, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के पत्र संख्या-283 रा०आ०प्र०प्रा०/2021-22, दिनांक 23 सितम्बर, 2021 के माध्यम से किये गये मांगपत्र के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-51 के लेखाशीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-06-उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंध प्राधिकरण-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) तथा 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-06-उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंध प्राधिकरण-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित बजट की अवशेष धनराशि को द्वितीय किश्त के रूप में आगामी 06 माह (अक्टूबर, 2021 से मार्च, 2022 तक) के व्ययों हेतु, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के वेतन एवं गैर वेतन मद हेतु **रु० 312.00 लाख (रुपये तीन करोड़ बारह लाख मात्र) की धनराशि** निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ के निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रु० में)				
क्रम सं०	मानक मद	प्राविधानित धनराशि	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
1	सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) 2245-80-800-06-00-20	500.00	300.00	200.00
2	सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) 2245-80-800-06-00-31	212.00	100.00	112.00
	योग-	712.00	400.00	312.00
(रुपये तीन करोड़ बारह लाख मात्र)				

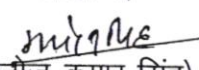
- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।
- (2) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2021 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2022 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (3) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं० 42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(रणवीर प्रसाद)
सचिव।

संख्या-1693(1)/एक-10-2021-33(46)/2018, तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (प्रथम)/आडिट प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 6- वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1/2
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-18/10/2021

प्रेषण संख्या:- 1693
आवंटन आदेश संख्या:- 118-2021-2022
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
80 - सामान्य
800 - अन्य व्यय
06 - उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान प्रगामी	20000000 20000000	11200000 11200000	31200000 31200000
	योग	वर्तमान प्रगामी	20000000 20000000	11200000 11200000	31200000 31200000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन करोड़ बारह लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ बारह लाख

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन।